



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 22 मई, 2001 ई0

ज्येष्ठ 01, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 09/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001

देहरादून, 22 मई, 2001

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 22 मई, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन् 2001)

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का उत्तरांचल राज्य के लिए अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

सक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह पहली अप्रैल, 2001 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

अधिनियम सं० 4,
सन् 1910 की धारा
12 का संशोधन

2-संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4, सन् 1910), जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा, की धारा 12 की उपधारा (3) को निकाल दिया जायेगा।

धारा 28 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (3) में, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :
(क) धारा 12(1) के उपबन्धों के अनुसार आयात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर प्रति-शुल्क :

मद सं०	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90.00 रु० प्रति ब० ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट :	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित	60.00 रु० प्रति ब० ली०
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(सी) वाइन	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा विनिर्मितियाँ जिनमें स्प्रिट हो जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(इ) ब्राण्डी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	600.00 रु० प्रति ब० ली०
3.	भांग	75.00 रु० प्रति किलोग्राम

(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क :

मद सं०	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर)	90.00 रु० प्रति ब० ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो (बियर को छोड़कर)	600.00 रु० प्रति ब० ली०
3.	भारत में यवासवित बियर	60.00 रु० प्रति ब० ली०
4.	भांग	75.00 रु० प्रति किलोग्राम

(ग) परिवहन किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क :

मद सं०	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90.00 रु० प्रति ब० ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट :	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित	60.00 रु० प्रति ब० ली०
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(सी) वाइन	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा विनिर्मितियाँ जिनमें स्प्रिट हो जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(इ) ब्राण्डी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	600.00 रु० प्रति ब० ली०
3.	भांग	75.00 रु० प्रति किलोग्राम

(घ) धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अन्तर्गत, कर्षित या संग्रहीत उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क :

मद सं०	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90.00 रु० प्रति ब० ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट :	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित	60.00 रु० प्रति ब० ली०
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(सी) वाइन	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा विनिर्मितियाँ जिनमें स्प्रिट हो जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(इ) ब्राण्डी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	600.00 रु० प्रति ब० ली०
3.	भांग	75.00 रु० प्रति किलोग्राम

(ड) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद—शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद—शुल्क :

मद सं०	उत्पाद—शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90.00 रु० प्रति ब० ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट :	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित	60.00 रु० प्रति ब० ली०
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(सी) वाइन	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा विनिर्मितियाँ जिनमें स्प्रिट हो जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(इ) ब्राण्डी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	600.00 रु० प्रति ब० ली०
धारा 4 —इस अधिनियम से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 02, सन् 2001) निरस्त हो जायेगा।		

आज्ञा से,
(पी० सी० पन्त)
सचिव।

No. 09/Vidhayee and Sansadiya Karya/2001
Dated Dehradun, May 22, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the United Provinces Excise Act (Uttaranchal Amendment) Act, 2001 (Uttaranchal Adhinyam no. 09 of 2001).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on May 22, 2001.

THE UNITED PROVINCES EXCISE ACT
(UTTARANCHAL AMENDMENT) ACT, 2001
(UTTARANCHAL ACT No.09 OF 2001)

[As passed by the Legislative Assembly in the Fifty second Year of the Republic of India]

AN
Act

to amend the United Provinces Excise Act, 1910 in its application to
Uttaranchal State

Be it enacted by the Uttaranchal Vidhan Sabha in the fifty second years of the Republic of India as follows:

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the United Provinces Excise Act (Uttaranchal Amendment), 2001.

उत्तरांचल असाधारण गजट, 22 मई, 2001 ई० (ज्येष्ठ 01, 1923 शक सम्वत्)

(2) It extends to the whole of the Uttaranchal State.

(3) It shall be deemed to have come into force on April 1, 2001.

2. In section 12 of the United Provinces Excise Act, 1910 (Act No. 4 of 1910), hereinafter referred to as the principal Act, sub-section (3) shall be omitted.

Amendment of
section 12 of the
Act No. 4 of 1910

3. In section 28 of the principal Act, in sub-section (3) for clauses (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted, namely:

Amendment of
section 28

(a) Countervailing duty on excisable articles imported in accordance with the provisions of section 12 (1):

Item No.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1.	Country Liquor (excepting Tari)	Rs. 90.00 per bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit :	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	Rs. 60.00 per bulk litre
	(b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(c) Wines	Rs. 600.00 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified.	Rs. 600.00 per bulk litre
3.	Bhang	Rs. 75.00 per kilogram

(b) Excise or countervailing duty on excisable articles exported in accordance with the provisions of section 13:

Item No.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1.	Country Liquor (excepting Tari and other fermented alcoholic beverages)	Rs. 90.00 per bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India (excepting beer)	Rs. 600.00 per bulk litre
3.	Beer brewed in India	Rs. 60.00 per bulk litre
4.	Bhang	Rs. 75.00 per kilogram

(c) Excise or countervailing duty on excisable articles transported:

Item No.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1.	Country Liquor (excepting Tari)	Rs. 90.00 per bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit :	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	Rs. 60.00 per bulk litre

Item No.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
	(b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(c) Wines	Rs. 600.00 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified.	Rs. 600.00 per bulk litre
3.	Bhang	Rs. 75.00 per kilogram

(d) Excise duty on excisable articles manufactured, cultivated or collected under any licence granted under section 17:

Item No.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1.	Country Liquor (excepting Tari)	Rs. 90.00 per bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit :	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	Rs. 60.00 per bulk litre
	(b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(c) Wines	Rs. 600.00 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified.	Rs. 600.00 per bulk litre
3.	Bhang	Rs. 75.00 per kilogram

(e) Excise duty on excisable articles manufactured in any distillery established, or any distillery or brewery licensed under section 18:

Item No.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1.	Country Liquor (excepting Tari and fermented alcoholic beverages)	Rs. 90.00 per bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit :	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	Rs. 60.00 per bulk litre
	(b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(c) Wines	Rs. 600.00 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified.	Rs. 600.00 per bulk litre

Repeal—The United Provinces Excise Act (Uttaranchal Amendment) Ordinance, 2001 (Uttaranchal Ordinance no. 2 of 2001) is hereby repealed.

By Order,
(P. C. PANT)
Sachiv.